न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी—दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 05/2024 जीसीएमएस प्र0रा0 – 2024/64 दायर दिनांक 20.06.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) मै0 सरस्वती मिष्ठान भण्डार, वार्ड न. 09 बाबा रामदेव मन्दिर रोड नया कस्बा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांक:—15.04.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री कवंर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नमूना संग्रहण के दिवस गजट नोटिफिकेशन कंमाक संख्या एफ 5(1) चिस्वा/ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक–प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.11.2023 को समय दोपहर 01.30 बजे मै0 सरस्वती मिष्ठान भण्डार, वार्ड न.09, बाबा रामदेव मन्दिर रोड़, नया कस्बा सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचा मौके पर श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान के कारखाने में तैयार परात के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ मावा मिठाई के बारे में जानकारी चाही इस पर स्वंय को विक्रेता व मालिक बताया तथा संस्थान में परात के अन्दर रखे 20 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा मिठाई आमजन में बेचान वास्ते होना बताया। इसी खाद्य पदार्थ मावा मिठाई में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ मावा मिठाई 20 किलोग्राम में से 02 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नगद भुगतान 440 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा मिठाई को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक–2098 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. के–2098 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप [illegible] पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुर[illegible]धिकार[illegible] भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। म[illegible] एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर [illegible] करने को कहा जि[illegible] नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रत्ति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2023/1642–43 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नमूना अनसेफ फूड होना पाया गया व इसी पत्रांक द्वारा खाद्यकारोबारकर्ता श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत किया गया। खाद्य कारोबारकर्ता फार्म 8 आवेदन करने पर नमुना जांच हेतु रेफरल फूड लैब पूणे को श्रीमान अभिहीत अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाया गया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2024/325–326 दिनांक 29.04.2024 द्वारा रेफरल फूड लैब पूर्ण की जांच रिपोर्ट में नमुना के–2098 सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 08.05.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र कमांक–एफएसएसए/2024/389–90 दिनांक 13.05.2024 से संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक), मैसर्स सरस्वती मिष्ठान भण्डार, वार्ड न.09, बाबा रामदेव मन्दिर रोड़, नया कस्बा सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने खाद्य पदार्थ मावा मिठाई सब–स्टैण्डर्ड फूड का विक्रय करके FSSA एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ. एस एस.ए 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् विक्रेता व मालिक एफ एस एस.ए. 2006 की धारा–31 (2) की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें। ताकि जनहित में अमानक स्तर (सबस्टेण्डर्ड फूड) के खाद्य पदार्थो का विक्रय रोका जा सके।

4. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त ने स्वयं हाजिर होकर दिनांक 04.09.2025 जवाब पेश किया गया। अभियुक्त ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 07.11.2023 को मेरे प्रतिष्ठान में श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी आये और मावा मिठाई का सैमपल लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गया सैम्पल खाद्य विश्लेशक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर द्वारा अनसेफ फूड बताया गया। जबकि मुझ अप्रार्थी द्वारा अपनी तरफ से काफी ध्यान रखकर, पूर्ण साफ सफाई रखकर व बाजार से अच्छी कम्पनी का सामान लाकर ही मावा मिठाई तैयार की जाती है। मुझ अप्रार्थी द्वारा उक्त मावा मिठाई में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई। बीकानेर की रिपोर्ट के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा अपने सैम्पल की जांच निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे से करवाई गई। जिसमें मुझ अप्रार्थी का सैम्पल सब स्टेण्डर्ड पाया गया। इससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई। अतः श्रीमान द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।

5. हमने पत्रावंली का गहनता से अवलोकन किया। निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पूणे की जांच रिपोर्ट आरएफएल/पी/डीओ–70/24/15/2024 दिनांक 20.02.2024 में उक्त नमूना **Sub standard food** पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा **Sub Standard food** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है, अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री नवरतन पुत्र श्री मानकचन्द (विक्रेता व मालिक) मै0 सरस्वती मिष्ठान भण्डार, वार्ड न. 09 बाबा रामदेव मन्दिर रोड नया कस्बा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner